

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-80/2023
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री सोवरन राम—विक्रेता

प्रति

श्री कमलेश राम—क्रेता

—आदेश—

अभिलेख उपस्थापित। आदेशक/विक्रेता श्री सोवरन राम, पिता-रामकृष्ण राम, ग्राम-आमर, पोस्ट-मझिआँव, थाना-मझिआँव, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नलिखित भूमि को क्रेता श्री कमलेश राम, पिता-गणेश राम, ग्राम-आमर, पोस्ट-मझिआँव, थाना-मझिआँव, जिला-गढ़वा को छोटानामपुर कारतकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, मझिआँव से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 302/दिनांक 21.06.2023 के द्वारा अंचल अधिकारी, मझिआँव का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। तथा विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के पिता एवं अन्य के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के तुसम (अनुसूचित जाति) एवं क्रेता जाति के चमार (अनुसूचित जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी है। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते है। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शालिपूर्ण देखल-कब्जे में है। यह भूमि भूदान, नू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, मझिआँव के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री सोवरन राम, पिता-रामकृष्ण राम, ग्राम-आमर, पोस्ट-मझिआँव, थाना-मझिआँव, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्री कमलेश राम, पिता-गणेश राम, ग्राम-आमर, पोस्ट-मझिआँव, थाना-मझिआँव, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नलिखित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानामपुर कारतकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

—भूमि का विवरण—

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहद्दी
आमर	139	पुराना-61 नया-113	पुराना-185 एवं 186 नया-686	0.10 ¹ / ₄	उ०-रामकृष्ण राम को कामेश्वर राम, द०-सुन्दर राम को विक्रम राम, पू०-पी०सी०सी० रोड, प०-बाला लखेन्द्र राम,
कुल रकबा-				0.10 ¹ / ₄	

आदेश की प्रति आवरयक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखपित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता,
गढ़वा

अपर समाहर्ता,
गढ़वा